(8) 17.06.25

Phone : 0532-3546687
3547783

Bar Council of Uttar Pradesh

19, Maharshi Dayanand Marg, Prayagraj-211001

No. : DC/IMX/BM   Recd   Date 2426/ 20 8/06/25

From

DC/NO - 223/2023

The Secretary,
Bar Council of U.P.
Prayagraj

Dear Sir,

I am sending herewith the certified copy of the judgment/order dated 19-12-24 passed by the Disciplinary Committee of the Bar Council of Uttar Pradesh Allahabad for your perusal.

अनुभाग अधिकारी
अनुशासन समिति

Yours faithfully,

Secretary

(1.) इश्तियाक हुसैन
लखनऊ
(2) सैय्यद मोहम्मद शाह आलम एडवोकेट
लखनऊ
(3) वरिष्ठ रजिस्ट्रार खण्डपीठ, लखनऊ
(4) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ
(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ
(6) जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
(7) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ

Registrar (J)(A)
Pl. send it to the Ld. Registrar General, H.C. Allahabad.
17.06.2025

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश 19, महर्षि दयानन्द मार्ग प्रयागराज

अनुशासन समिति परिवाद संख्या– 223 सन् 2023

इश्तियाक हुसेन पुत्र श्री इम्तियाज पता ग्राम उजरियॉव विजय खण्ड–2 गोमती नगर लखनऊ..... प्रार्थी/वादी

बनाम

सैय्यद मोहम्मद शाह आलम अधिवक्ता लखनऊ..... प्रतिवादी

निर्णय

1– वादी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र बार कौंन्सिल आफ उत्तर प्रदेश में प्रतिवादी सैय्यद मोहम्मद शाह आलम अधिवक्ता के विरूद्ध इस आशय से दाखिल किया कि वादी स्वयं एक अधिवक्ता है प्रतिवादी आपराधिक प्रवृत्ति एवं मानसिकता का व्यक्ति है जिसने बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा लिया है। प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व में स्थानीय थाना गोमती नगर लखनऊ में निम्नलिखित आपराधिक मुकदमें दर्ज है।:–

1'– मु0अ0सं0 536/2016 धारा– 147, 148, 149, 436, 447, 352, 504, 506 आई0पी0सी0 थाना गोमती नगर जिला लखनऊ।

2– मु0अ0सं0 24/2018 धारा–147, 352, 353, 436, आई0पी0सी 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना गोमती नगर जिला लखनऊ।

3– मु0अ0सं0 481/2019 धारा– 147, 392, 504, 506,386 आई0पी0सी0 थाना गोमती नगर जिला लखनऊ।

4– गुण्डा एक्ट सं0डी0 020190460004127 धारा–3 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत सरकार बनाम शाह आलम थाना गोमती नगर जिला लखनऊ दर्ज है। अपराधी होने के साथ साथ उपरोक्त प्रतिवादी ने अधिवक्ता के रूप में कराना न्याय एवं समाज हित में दोनों के लिए हानिकारक सभी रूपों में ही ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्ति

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

का अथक आपराधिक आदतें एवं मानसिकता रखने वाले व्यक्ति का पंजीकरण न्यायहित में समीचीन होगा।

2— प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के जबसव में प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसने कथन किया कि वादी की शिकायत पत्र में मुकदमों के बारे में जो कथन है वह सही ळै और आगे यह कहना है कि उपरोक्त क्रिमिनल मुकदमें सिविल मुकदमों में पेशबन्दी के लिए प्रतिवादी पर चलाये गये हैं औरव वादी के द्वज्ञरा वर्णित सभी मुकदमें वादी के घर वालों ने झूठे दर्ज कराये है। जहां तक गुण्डा एक्ट सी0डी0 020190466604127 सरकार बनाम शाह आलम का सम्बन्ध यह मुकदमा किसी और से सम्बन्धित है इसमें जो प्रतिवादी की बल्दियत बतायी गयी है वह गलत है और यह मुकदमा समाप्त हो चुका है और शेष तीनों मुकदमें माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी वर्ष 2003 से 2007 तक Integral University Lucknow मे लक्चरर के पद पर कार्य किया और इसी दौरान उसका BENGHAZI UNIVERSITY LIBYA, NORTH AFRICA में पढ़ाने के लिए चयन. हुआ जहां वर्ष 2007 से 2014 तक पढाने का कार्य किया तथा वापस आने पर 2015 मे Amity University Lucknow में पार्ट टाइम पी0एच0डी0 करने के लिए चयनित हुआ और पी0 एच0 डी0 की पढाई करवक रहा था कि इसी दौरान पेश बन्दी के चलते वादी एवं इनके घर वालों ने जमींन विवाद के चलते प्रतिवादी को झूठे मुकदमें में फॅसाना शुरूॅ किया और शिकायत पत्र में वर्णित मुकदमें वादी के घर वालों द्वारा ही लिखाये गये हैं । ताकि प्रतिवादी अपने सिविल मुकदमों में पैरवी न9 कर सके। जिससे पीड़ित होकर प्रतिवादी को अपनी पी0एच0डी0 की पढाई छोड़नी पड़ी और उसने लखनऊ विश्वविद्यालय से एल0एल0बी शिक्षा ग्रहण की और 2020 में बार कौन्सिल उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराया प्रतिवादी एवं वादी दोनों ग्राम उजरियॉव गोमती नगर के निवासी हैं और वादी के

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

घर वालों और प्रतिवादी के घर वालों के बीच जमींन को लेकर दीवानी एवं सत्र न्यायालय लखनऊ मे 8 मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। उपरोक्त सभी सिविल मुकदमे व कुछ अन्य मुकदमें वादी एंव प्रतिवादी के घर वालों के बीच है। जिसमें श्रीमती हसरत जहां वादी की माता है और इम्तियाज हुसेन वादी के पिता हैं सभी क्रिमिनल मुकदमों में एफ0आई0आर0 लिखाने वाले या तो वादी की माता हसरत जहां है या पिता इम्तियाज हुसैन है और यह शिकायती प्रार्थना पत्र वादी ने पेश बन्दी की नियत से महोदय के सामने प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के विरूद्ध थाना गोमती नगर में इन लोगों द्वारा दर्ज कराये गये झूठे मुकदमें निम्न हैः–

1– मु0अ0सं0 536/2016, शिकायतकर्ता श्रीमती हसरत जहां एवं इम्तियाज हुसेन जो कि वादी की माता– पिता है।

2– मु0अ0सं0 24/2018 शिकायतकर्ता इम्तियाज हुसैन वादी के पिता है।

3– मु0अ0सं0 489/20 19 शिकायतकर्ता इम्तियाज हुसेन वादी के पिता हैं।

प्रतिवादी ने बार कौन्सिल में पंजीकरण के समय शिकायत पत्र में वर्णित सभी मुकदमों के बारे में शपथ पत्र. के जरिये बार कौन्सिल को इनकी स्थिति के बारेमें अवगत कराया है। प्रतिवादी द्वारा कोई भी MISCONDUCT कारित नही किया गया है। उसने रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी जानकारी नही छुपाई है।

3– वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र के जबाव मे प्रति–उत्तर दाखिल किया गया जसमें उसने प्रतिवादइी के ऊपर लगाये गये आरोपों को सही व सत्य बताया तथा कथन किया गया है प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी ने झूठे व गलत तथ्य अंकित करें है। गुण्डा एक्ट संख्या डी020190460004127 सरकार बनाम शाह आलम से सम्बन्धित है प्रतिवादी ने गुण्डा एक्ट के मुकदमें में स्वयं हाजिर

होकर अपना जबाव भी लगाया है। जबाब की प्रमाणित प्रंतिलिपि इस आपत्ति के साथ संलग्न है। यह महत्वपूर्ण तयि प्रतिवादी ने पंजीकरण के समय छिपाया है। इस तथ्य को Conceal करके अपना पंजीकरण करा लिया। यह एक आपराधिक कृत्य है तजो प्रतिवादी की आपराधिक मानसिकता दर्शाता है। प्रंतिवादी जिसके विरूद्ध स्थानीय थाने में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये। प्रतिवादी चने गुण्डा एक्ट के तथ्य को छिपाया है और अपने पंजीकरण के समय जो शपथ पत्र दिया है उसमें भी अंकित नही किया और इस तथ्य को Conceal करके अपना पंजीकरण कराया है।

4— वादी द्वारा दाखिल प्रति उत्तर का प्रतिवादी द्वारा जबाबुल जबाव दाखिल किया गया। जिसमें उसने पुनः अपने ऊपर लगाये गये आरोपें को झूॅठछा व गलत बताया तथा कथन किया कि प्रतिवादी ने माननीय उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल प्रयागराज के समक्ष अपने रजिस्ट्रेशन के समय अपने ऊपर चल रहे सभी मुकदमों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये शपथ पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर रहा है।

वादी द्वारा दाखिल वाद पत्र प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र वादी द्वारा दाखिल प्रति उत्तर तथा प्रतिवादी द्वारा दाखिल जबाबुल जबाव के बाद जो विन्दु (इश्यूस) बन रहे हैं वह इस प्रकार हैः—

1— क्या वादी द्वारा दाखिल किया गया वाद प्रतिवादी अधिवक्ता के विरूद्ध चलने योग्य है?

2— क्या प्रतिवादी अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 केय पेशेवर कदाचरण व अन्य कदाचरण (Professional Misconduct or other misconduct) का दोषी है।

वादी द्वारा दाखिल किये गये वाद पत्र, प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिवादी पत्र, वादी द्वारा दाखिल प्रति—उत्तर व प्रतिवादी द्वारा दाखिल जबाबुल जबाव तथा वादी द्वारा दाखिल लिखित बहस का

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

अवलोकन करने के बाद तथा दोनो पक्षों की बहस सुनने के यबाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादी द्वारा जो भी आरोप लगाये गये उसका जबाब प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया है। वादी का आरोप है कि प्रतिवादी एक अपराधिक प्रववृत्ति एवं मानसिकता का है। प्रतिवादी के ऊपर चार मुकदमे है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में कथन किया गया है। उपरोक्त क्रिमिनल मुकदमें सिविल मुकदमों में पेशबन्दी के लिए प्रतिवादी पर चलाये गये हैं। वादी द्वारा वर्णित सभी मुकदमें वादीके घर वालो ने झूठे दर्ज कराये हैं। जहां तक गुण्डा एक्ट सी0डी0 201904660004127 सरकार बनाम शाह आलम का सम्बन्ध यह मुकदमा किसी और से सम्बन्धित है इसमें जो प्रतिवादी की बल्दियत बतायी है गलत है और यह मुकदमा समाप्त हो चुका है और शेष तीनों मुकदमें माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वादी द्वारा अपने प्रति–उत्तर में कथन किया है । प्रतिवादी का गुण्डा एक्ट कसा मुकदमा सरकार बनाम शाह आलम है प्रतिवादी से ही सम्बन्धित है प्रतिवादी ने गुण्डा एक्ट के मुकदमें में स्वयं हाजिर होकर अपना जववा भी लगाया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिवादी ने पंजीकरण के समय छिपाया है इस तयि को Conceal करके अपना पंजीकरण करा लिया। प्रतिवादी जिसके विरूद्ध स्थानीय थाने में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये प्रतिवादी ने जवाबुल जबाव दाखिल किया जिसमें उसने कथन किया कि उसने माननीय बार कौन्सिल उत्तर प्रदेश के समक्ष अपने रजिस्ट्रेशन के समय ऊपर चल रहे सभी मुकदमों के सम्बन्ध में सशपथ जानकारी दी थी। प्रतिवादी ने बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये शपथ पत्रों की छाया प्रतियां दाखिल की। जिनको अवलोकन किया जिसमें शपथ पत्र दिनांकित 22–11–2019 के पैरा नं03 में लिखा है '' यह कि मैं कभी किसी अपराध में दण्डित नही हूँ'' तथा पैरा–4 में 6 मुकदमों का वितरण दिया है। जिसमें 4 नम्बर

Allahabad

पर वाद सं0 डी 201916466604127 अं0 धारा 3 गुंण्डा नियंत्रण अधिनियम अपर जिला मजिस्ट्रेट ट्रान्स गोमती लखनऊ के यहां से निस्तारण हो चुका है वर्णित है तथा दूसरा शपथ पत्र दिनांकित 18–01–2020 में प्रतिवादी ने पैरा नं0 3 में लिखा है कि वाद सं0डी0. 201910460004127 सरकार बनाम शाह आलम का अन्तर्गत गुंण्डा एक्ट के तहत सूची में दिया थ वह शपथी के विरूद्ध केश नही है इस प्रकार प्रतिवादी ने एक हीं मुकदमें से सम्बन्धित दो तरह की जानकारी दी है तथा गुण्डा एक्ट के मुकदमें में स्वयं उपस्थित होकर आपत्ति दाखिल की है। तथा गुण्डा एक्ट के मुकदमें के आदेश दिनांकित 25–04–2019 अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी0ज़ी0) ने उसे निर्देशित किया है कि वह अग्रिम तीन माह तक प्रत्येक पक्ष में(प्रथम व चतुर्थ रविवार) को स्थानीय थाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने सदाचरण की सूचना प्रस्तुत करेंगे जो दण्ड की परिधित में आता है। इस प्रकार प्रतिवादी ने अपने दोनों शपथ पत्रों में अपने स आदेश को छिपाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

समस्त प्रपत्रो के अवलोकन के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि वादी द्वारा प्रतिवादी पर लगाया गया आरोप को उसने अपने गुण्डा एक्ट के मुकदमें की सही जानकारी छिपाकर अपना रजिस्ट्रेशन बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश में करा लिया है। जिसे प्रतिवादी गलत साबित करने में विफल रहा है। वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता अन्तर्गत धारा–35, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का दोषी सिद्ध किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त साक्ष्य व पत्रावली पर रखे गये समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से हम सदस्यगण इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि वादी का वाद पोषणीय है। स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता का लाइसेंस (रजिस्ट्रेशन) आदेश के दिनांक से 1 वर्ष के लिए निलम्वित

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

किया जाता है। यह समय आदेश के दिनांक से प्रारम्भ होकर 365 दिन पूर्ण होने तक लागू रहेगा। आदेश की प्रति उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ के वरिष्ठ रजिस्ट्रार खण्ड पीठ लखनऊ, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ, जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को अविलम्ब भेजी जाए व दोनो पक्षों को भी अविलम्ब भेजी जाए।

BAR ... Allahabad

प्रेषित दिनांक -19-12-24

ह० आ० ह० आ० - ह० आ०

TRUE COPY

अनुभाग अधिकारी
अनुशासन ...
बार कौंसिल ऑफ ...

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD